

उत्तर प्रदेश शासन
भाषा विभाग

संख्या 828/इक्कीस-3 (18) -69
लखनऊ, 1 जून, 1970*

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1970) द्वारा यथा संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (अधिनियम संख्या 5, 1898) की धारा 367 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल 2 अक्टूबर, 1970 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं, जब से किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा ऐसे सभी मामलों में, जिनमें एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये कारावास का दण्ड दिया जा सकता है, पारित किये गये या दिये गये प्रत्येक निर्णय या आदेश की भाषा केवल देवनागरी लिपि में लिखित तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप सहित हिन्दी होगी।

आज्ञा से,
प्रेम प्रकाश,
न्याय सचिव।

*टिप्पणी— कृपया अधिसूचना संख्या 858/इक्कीस-13 (1)-74, दिनांक 30 मार्च, 1974 भी देखें जोकि 1 अप्रैल, 1974 से लागू नयी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत जारी की गयी है।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
LANGUAGE DEPARTMENT

NO. 828/XXI-3(18)-69
Dated Lucknow, June 1, 1970*

NOTIFICATION

In exercise of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 828/XXI-3(18)-69, dated June 1, 1970.

In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 367 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act no. 5 of 1898) as amended in its application to Uttar Pradesh by the Uttar Pradesh Official Language (Subordinate of courts) Act, 1970 (U.P. Act no. 17 of 1970), the Governor is pleased to appoint the 2nd day of October, 1970, as the date with effect from which the Language of every judgment or order passed or made by a court of Magistrate in all cases, in which a sentence of imprisonment for a term not exceeding one year can be passed, shall only be Hindi in Devanagri script with the international form of Indian numerals.

By order,
PREM PRAKASH,
Judicial Secretary.

*NOTE- Please also see Notification No. 858/XXI-3(1)/74, dated March 30, 1974 issued under new criminal procedure, Code 1973 enforced from April 1, 1974.